GLOBAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES UGC APPROVED ISSN: - 2348-0459
www.gjms.co.in
Volume-6, Issue-8, July 2017 Impact Factor: 3.987

Paper ID: UGC 48846-888

अनुसूचित जाति और छुआछात का व्यवहार

घनश्याम गेडाम
शोधार्थी (समाजशास्त्र) समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग रादुविवि

सारांशः— शोषण, अन्याय और ''प्रजातीय भेदभाव सभी जगह है, लेकिन भारत जैसा उदाहरण कहीं भी नहीं है। जहाँ व्यक्ति दलित (अस्पृश्य) रूप से जन्म लेता हो और जीवन पर्यन्त दलित और अपवित्र रहता है। सामाजिक भेदभाव का यह अनोखा ही नमूना है, जिसमें समान रूधिर और हाड मांस वाले मनुष्य को मात्र देखने और छूने से ही दूसरा अपवित्रत हो जाता है। उसे पवित्र होने के लिए गंगाजल, यहाँ तक कि गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है।''[1] भारत में जानबूझकर ऐसा जातीय ढाँचा निर्मित किया गया जिसमें कि व्यक्ति नहीं, सम्पूर्ण समूह और जाति पर अनेक वर्जनायें लादकर उन्हें दलित बनाया गया। आजादी के बाद यद्यपि इन वर्जनाओं को दूर करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं, किन्तु लोगों के मन मस्तिष्क पर परंपरावादी सामाजिक मान्यताओं, निषेधों का प्रभाव इतना अधिक है कि इसे विगत वर्षों में समाप्त नहीं किया जा सका है।[2] आलेख में अस्पृश्यता संबंधी प्रतिमानों को दर्शाया गया है, जो वर्तमान समय में भी व्यवहार में प्रचलन में है।

खोज शब्दः— दलित, छुआछात, छुआछात के प्रकार

प्रस्तावनाः— ''संसार में अनेक देशों में ऐसे वर्ग है, जो निम्न वर्ग कहे जाते है। ये रोम में स्लेव या दास कहलाते थे। स्पार्टन में इनका नाम हेलोटर या क्रीत था। ब्रिटेन में ये विलियन्स या क्षुद्र कहलाते थे, अमेरिका में नीग्रों और जर्मनी में यहूदी थे। हिन्दुओं में यही दशा दलितों की थी, परन्तु इनमें से कोई इतना बदनसीब नही था, जितना अभागा दलित है। दास, क्रीत, क्षुद्र सब लुप्त हो गये है, परन्तु अस्पृश्यता का भूत आज भी मौजूद है।''

आधुनिक विज्ञान एव तकनीक से युक्त इस विश्व का कोई कोना आज दुर्लध्य नही रहा, किन्तु दुर्भाग्य है कि मनुष्य अभी भी ऊँच–नीच की निहायत ही घटिया सोच का शिकार है। भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा लोकतांत्रिक नही है, यह जन्मांत असमानता पर आधारित अनेक जातियों, उपजातियों में बंटा हुआ है। इस विभाजन में दलित सबसे नीचे है। जिनका दुखद अतीत है कि जिनकी पहचान दुर्भाग्यपूर्ण है। जहॉ तक दलितों का प्रश्न है, टायलर की यह बात कि कुछ भी ऐसा नही है जो वर्तमान में न हो और कुछ भी ऐसा नही है जिसका मूल अतीत में न हो और कुछ भी ऐसा नही है, जो वर्तमान तक बना न रहा हो, काफी हद तक सही प्रतीत होती है हजारों वर्षो से दलित शोषण, वंचन और उत्पीड़न के शिकार रहे है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ''हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा, जो जिस मंजिल में पैदा होता है, उसे उसी मंजिल में मरना होता है।''[3]

दलित से यहाँ आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा –341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं। देश में इनकी संख्या करीब चौदह (13.82) करोड है। जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का छठाई भाग (16.48:) है। संविधान में इनकी अलग पहचान, इनकी सामाजिक नियोग्यताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से निर्मित की गई है। गरीबी, गन्दगी, बीमारी और अशिक्षा की शिकार ये जातियाँ समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रही हैं। आज भी दरिद्रता की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों मे अनुसूचित जातियों का अनुपात देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में इनके अनुपात से कहीं बहुत ज्यादा है। इनक पास भूमि व जीविका के अन्य संसाधनों का स्वामित्व नहीं के बराबर है। इनमें आधे से अधिक लोग भूमिहीन अथवा छोटे व सीमांत कृषक हैं। जो आजीविका के लिए कृषि–मजदूरी पर निर्भर करते हैं। अभी हाल

Paper ID: UGC 48846-888

तक इनमें अधिकांशतः अपने भू–स्वामी के यहाँ पूर्णतः या अंशतः बंधुआ मजदूर थे। ये खाल निकालने और चमड़े का काम, नाली और गली की सफाई जैसे गन्दे और कम आमदनी वाले काम करते रहे हैं। आज भी दलित अंधिकांशतः अभावग्रस्त और दरिद्र हैं।[4]

भारतीय समाज में छुआछूत का व्यवहार बहुत पुराना है। इसकी जड़े इतनी गहरी हैं कि बुद्ध से लेकर गांधी तक अनेक लोगों ने इसके निवारण के लिए समय–समय पर प्रयास किया। किन्तु यह किसी न किसी रूप में समाज में बनी रही।[5] सामाजिक आधार पर व्यवहार के दोहरे मानदण्ड आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं। शहरों में छुआछूत व सामाजिक भेदभाव बहुत सीमति है, किंतु गांवों में कमावेश आज भी बना हुआ है।[6]

छुआछात के प्रकारः– संविधान अथवा किसी भी कानून में 'छूआछात' की व्याख्या नहीं की गई है। 1976 के नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून में 'भेदभाव' करने ही को छुआछात कहा गया है।

नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून, 1976 के अधीन दर्ज शिकातयें के आधार पर छुआछात करने के तौर तरीके इस प्रकार बताए गए हैं:–

1. मंदिरों और सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश की मनाही।
2. चाय की दुकानों, होटलों और रैस्टोरेंटों में प्रवेश की मनाही।
3. पीने के पानी के स्त्रोतों को इस्तेमाल न करने देना।
4. बाल न काटना।
5. धोबी द्वारा वस्त्र न धोना।
6. सामाजिक समारोहों में भागेदारी न करने देना।
7. ग्राम पंचायत घर अथवा चौपाल में न बैठने देना।
8. शिक्षा–संस्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य–केन्द्रों में भेदभाव करना।
9. आम होटलों वे रैस्टोरटो के बर्तनों को इस्तेमाल न करने देना।
10. पशुओं की खाल उतारने और सफाई जैसे धंधे करने पर मजबूर करना।
11. किसी व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य करने से रोकना।
12. सार्वजनिक मार्गों और सड़कों पर चलने से रोकना।
13. गाली–गिलोज या अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करना।
14. निवास के लिए भूमि खरीदने या मकान–निर्माण करने से रोकना।
15. धर्मशाला व सराल में ठहरने न देना।
16. आभूषण व गहने पहनने से रोकना।
17. आम दुकानों से वस्तुएं न देना।

निजी कार्य क्षेत्र में छुआछात

1. सवर्ण हिन्दू के घर न जाने देना।
2. दुकान में धन लेने देने और वस्तुएं देने में छुआछात करना।
3. दलित श्रमिक को कम–उजरत (वेतन) देना।

सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में छुआछात

1. पंचायत की बैठकों में दलितों को अलग बिठाना।
2. प्रारंभिक–स्कूलों में दलित विद्यार्थियों को पृथक बिठाना।
3. स्कूल में सवर्ण–टीचर और दलित टीचर के बीच संबंधों में भेदभाव करना।
4. स्कूल के बाहर सर्वण और दलित विद्यार्थी में भेदभाव करना।
5. गांव में दलित–टीचर को निवास–गृह में भेदभाव करना।
6. डाकघर में सटैंप खरीदते समय भेदभाव करना।
7. पोस्टमैन द्वारा डाक बांटते समय भेदभाव करना।
8. सरकारी–ट्रांसपोर्ट (बस, टैम्पो, ट्रैकटर आदि) में यात्रा संबंधी भेदभाव करना।
9. सार्वजनिक–वितरण दुकानों में भेदभाव करना।
10. प्रायमरी हैल्थ सैटरों द्वारा सेवाएं देते समय भेदभाव करना।

Paper ID: UGC 48846-888

11. मुर्दे दफनाने या जलाने के स्थानों में 'अछूत' मुर्दों को दफनाने या जलाने न देना।
12. विवाहों, त्यौहारों और अंतिम–संस्कारों में भेदभाव करना।
13. गांवों की नदी–नाले में कपड़े न धोने देना।
14. सार्वजनिक सड़कों पर छत्री, साईकिल और चप्पल के इस्तेमाल की मनाही करना।
15. सवर्ण जातियों के पुरूषों की उपस्थिति में दलित को खड़े रहने का आदेश देना।
16. सहभोज पर प्रतिबंध लगाना।
17. गांव के स्कूलों में दलित विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी का अलग प्रबंध करना।
18. मत–केन्द्रों में भेदभाव करना।

हमने छुआछात करने की विधियों और तौर–तरीकों की भीम पत्रिका के स्टाफ द्वारा समाचार–पत्रों और सरकारी–रिपोर्टों में से एकत्र की हैं। छुआछात के तौर तरीके इन रिपोर्टों से कहीं ज्यादा भयानक और शर्मनाक हैं।[7]

निष्कर्ष:– छुआछातः अभी तक शर्मनाक रूप में प्रचलित है। भारत की संसद (लोक सभा) में तत्कालीन समाज भलाई मंत्री ने बतया कि देश के 12 राज्यों में छुआछूत की जाती है। यह राज्य हैं: (1) आंध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) कर्नाटक, (4) गुजरात, (5) केरल, (6) मध्यप्रदेश, (7) महाराष्ट्र, (8) उड़ीसा, (9) राजस्थान, (10) तमिलनाडु, (11) उत्तर प्रदेश, (12) पांडीचरी इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य 6 राज्यों में छुआछूत कुछ कम हैं यह राज्य हैं (1) जम्मू व काश्मीर (2) पंजाब (3) हरियाणा (4) हिमाचल प्रदेश (5) केन्द्र शासित गोवा और (6) दिल्ली।

इस तरह सरकार यह खुद स्वीकार करती है कि देश के कुल 35 राज्यों में से 18 राज्यों में छुआछात जारी है। किन्तु हकीक़त यह है कि छुआछात देश भर में किसी न किसी रूप में प्रचलित है हालांकि भारत के संविधान में छुआछात को 26 जनवरी, 1950 से धारा 17 द्वारा अपराध करार दिया गया है, जो इस प्रकार है: **'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा।** संविधान के इस उपलब्ध के बावजूद छुआछात शर्मनाक रूप में जारी है।[8]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *भदौरिया, एस.एस., डॉ. भीमराव अम्बेडकर के वर्ण जाति और अस्पृश्यता संबंधी विचार और उनकी प्रासंगिकता, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका–1996*
2. *पाटिल, अशोक. डी.एस. भदौरिया, एस.एस. (2009), भारतीय समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, म.प्र. पृ. 121*
3. *डॉ. पूरण मल, (2010); दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान), पृष्ठ–1*
4. *सिंह रामगोपाल (1998) भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बनगंगा भोपाल, पृ. 129–131*
5. *सिंह राम गोपाल (1986), भारतीय दलितः समस्याएँ एवं समाधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बनगंगा भोपाल (म. प्र.), पृ. 134*
6. *वही. पृ. 100*
7. *बाली, एल.आर, (2006), नही मिटेगी छुआछात, भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालंघर, (2006), पृ. 8–9*
8. *बाली, एल.आर, (2006), नही मिटेगी छुआछात, भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालंघर, पृ.7*

*****